न्यायालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड (म0प्र0)

क्रमांक डी.1 **सी.1**/स्टेनो/2025 दिनांक 11.04.2025

–:: संशोधित कार्य विभाजन पत्रक ::–

माननीय म.प्र. उच्च न्यायायल जबलपुर के आदेशानुसार सुश्री अनुभूति गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम भिण्ड जिला भिण्ड का स्थानांतरण जिला विधि सेवा प्राधिकरण भिण्ड में होने के फलस्वरूप माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, भिण्ड से प्राप्त निर्देशानुसार एवं कार्य सुविधा प्रशासनिक दृष्टि से अधोहस्ताक्षरकर्ता मैं **श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक क्रमांक डी.1/स्टेनो/2025 दिनांक 07.04.2025 प्रभावशील दिनांक 07.04.2025 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यविभाजन से **सरल क्रमांक 5 और अनुसूची 1 से कु. अनुभूति गुप्ता जे.एम.एफ.सी. भिण्ड** को विलोपित करते हुए निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट करती हूँ :–

क्र.	**न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम**	आवंटित आरक्षी केंद्र	क्षेत्राधिकार
1.	**श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला भिण्ड	**महिला पुलिस थाना** और **महिला संबंधी बोर्ड**	**1.** आवंटित आरक्षी केंद्र महिला की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। **2.** संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (196 बी.एन.एस.एस. 2023) **3.** न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय जिला मुख्यालय भिण्ड स्थित समस्त आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, बी.एन.एस. 2023 की धारा 88 लगायत 91 एवं 74 लगायत 78 व 75, म.प्र.संशो.अधि., 87, 96, 141, 64, 64 से 70, 81, 84 से 86 एवं 79 बी.एन.एस. 2023, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण

			प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों, जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त आपराधिक, विविध प्रकरण एवं <u>मानव तस्करी रोधी इकाई</u> से संबंधित प्रकरण। **4.** संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (196 बी.एन.एस.एस. 2023) **5.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
		जिला मुख्यालय भिण्ड के अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र	**1.** भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 लगायत 71, 75, 76, 77 के अपराध के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा **184** के अधीन लिये जाने वाले कथन।
		तहसील अटेर के अंतर्गत आने वाले **समस्त आरक्षी केंद्र** (अटेर, पावई, बरोही, फूप और सुरपुरा)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा **144 से 147** के अंतर्गत (नगर पालिका क्षेत्र भिण्ड एवं जिला मुख्यालय की तहसील सीमा क्षेत्र तथा कुटुंब न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) आवेदन पत्रों से संबंधित विचारणीय मामले।
2.	**श्री अभिजीत सिंह**, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिण्ड	**फूप**	**1.** आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, बी.एन.एस. 2023 की धारा 88 लगायत 91 एवं 74 लगायत 78 व 75, म.प्र.संशो.अधि., 87, 96, 141, 64, 64 से 70, 81, 84 से 86 एवं 79 बी.एन.एस. 2023, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध

			अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित अथवा फरियादी) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। **2.** संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (196 बी.एन.एस.एस. 2023) **3.** संबंधित थाना क्षेत्र के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है और धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। **4.** संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम के समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र। **5.** संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण। **6.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
3.	**श्री सत्यम देवलिया,** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिण्ड		**1.** पुलिस थाना **फूप** से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस 2023 (164 द.प्र.सं) के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ

नोट – **1.** आदेश आज दिनांक 11.04.2025 से प्रभावशील।
2. शेष कार्य विभाजन पूर्वानुसार यथावत् रहेगा।

(श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला भिण्ड

पृष्ठांकन कमांक.......760

भिण्ड, दिनांक.......11.4.25

प्रतिलिपि :–

01. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।

02. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर आदेश की प्रति जिला न्यायालय भिण्ड की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला भिण्ड